



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना  
Office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax, Andhra Pradesh & Telangana  
10वीं मंजिल, 'सी' ब्लॉक, आयकर शिखर, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500004  
10<sup>th</sup> Floor, 'C' Block, IT Towers, AC Guards, Hyderabad-500004  
टेलिफोन/Tel. No 040 - 23425474, फैक्स/ Fax 23241427, 040-23240403

F. No. Pr.CCIT/4(14)(a)/Estt/TA /2023-24

दिनांक/Date: 05 /10/2023

- विषय: स्थापना – आयकर विभाग, हैदराबाद, कर सहायकों का स्थानान्तरण एवं तैनाती आदेश – जारी करने के संबंध में।  
Sub: Establishment – I.T. Department, Hyderabad – Transfers and postings of Tax Assistants - orders – Issue of – Regarding

**आदेश संख्या/ORDER NO: 38 of 2023**

एतद्वारा निम्नलिखित कर सहायकों का स्थानान्तरण व तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जारी किया जाता है।

The transfers and postings of the following **TAX ASSISTANT** is hereby ordered with immediate effect and until further orders.

क्र.सं. S NO.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)/ NAME OF THE OFFICIAL (Sri/Smt./Ms.)	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM STATION	को स्थानांतरित TRANSFERRED TO PRCCIT/ CCIT/DGIT/ PRCIT/ CIT/DIT CHARGE	को स्थानांतरित TRANSFERRED TO STATION
1	PRASANTH KUMAR M	ITO(IAP), GUNTUR	GUNTUR	PCIT, VIJAYWADA	GUNTUR

- The concerned PCIT shall make necessary posting in respect of all official who is posted to their charge without changing the station, under intimation to this office.
- सभी कार्यालय प्रमुख स्थानांतरण आदेशाधीन कर्मचारियों को दिनांक **13.10.2023** तक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। / The Head of Office is required to relieve the official under orders of transfer positively by **13.10.2023**.
- स्थानांतरण आदेशाधीन कर्मचारियों को उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी, जिनके अधीन वे वर्तमान में कार्यरत हैं। यदि कोई छुट्टी आवेदन तो उसे नई तैनाती कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाए।  
The official under orders of transfer shall not be granted Earned Leave by the Competent Authority under whom he is presently working. Leave applications, if any, may be forwarded to the new place of posting for necessary action.
- कार्यालय प्रमुखों को यह निदेश दिया जाता है कि कर्मचारियों के कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट अलग से दिनांक **20.10.2023** तक भेजी जाए ताकि कार्यालय रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सकें। कार्यालय प्रमुख को अनुपालन रिपोर्ट में यह प्रमाणित करना होगा कि कर्मचारी को कार्यमुक्त करते समय उनके स्थान पर तैनात कर्मचारी को कार्यभार सौंपने संबंधी यथोचित नोट प्रस्तुत किया गया है। यह भी नोट करें कि कर्मचारियों का वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट(APAR) संबंधी कार्य पूरा करके संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों को विधिवत अग्रेषित कर दी गई है।

The Heads of Office are directed to send separate compliance report on relieving and joining of officials from/to his offices latest by **20.10.2023** for updating the data in records. The Head of Office should certify in the compliance report that proper handing over note has been given to the successor at the time of relieving of official. It is also to be noted that the APARs of the official reporting to the officer concerned is completed and duly forwarded.



6. यदि कोई अभ्यावेदन हो तो अपने नये तैनात कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारी को उक्त कार्यालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। पुराने तैनात कार्यालय से भेजने पर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

Official may file his representation, if any, only after joining in their new posting allotted to him and representation filed from the old posting will not be considered.

7. आयकर विभाग आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र के समूह "बी" (अराजपत्रित) एवं समूह "सी" (कारचालकों के अतिरिक्त) की स्थानांतरण नीति के खंड IV के अनुसार कार्यमुक्त तिथि से पहले जब तक स्थानांतरण आदेश को स्वतः या अभ्यावेदन पर रद्द नहीं किया जाता है, स्थानांतरित कर्मचारी को आदेश में उल्लेखित नियत तिथि पर कार्यमुक्त माना जायेगा। यह स्पष्ट हो कि स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर स्थानांतरण आदेश की अवहेलना में कर्मचारी को पूर्व पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके मद्दे नजर यदि किसी कर्मचारी को नियत तिथि तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उसे अगले कार्य दिवस से कार्यमुक्त माना जायेगा।

As per clause IV of Transfer Policy for Group 'B' (Non Gazetted) & Group 'C' Officials (Other than Staff Car Drivers) of Income Tax department, AP & Telangana Region, unless the transfer order is cancelled either suo-moto or on representation, before the due date of relieving the transferee shall be considered as deemed relieved on the due date given in the transfer order. It is clarified that representation made against the transfer shall not confer any right whatsoever on the official to continue at the previous post in defiance of the transfer order. In view of this, if any of the Official is not relieved by due date, he/she shall be deemed relieved by next working day.

8. इसे प्र.मु.आ.आ., आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the prior approval of the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, AP&TS, Hyderabad.

Sd/-

(के. रवि किरण /K. RAVI KIRAN)

आयकर आयुक्त (सेवाएँ करदाता एवं प्रशासन),  
Commissioner of Income Tax(Admn. & TPS),  
आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना/Andhra Pradesh & Telangana.

**प्रतिलिपि/ Copy to:**

1. संबंधित कर्मचारी/ The Official concerned
2. आयकर महानिदेशक (अन्वे), हैदराबाद एवं आ.प्र. एवं तेलंगाना क्षेत्र के सभी मुख्य आयकर आयुक्त / The DGIT(Inv.), Hyderabad and all the CCsIT in AP & Telangana Region
3. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में सभी प्र.आ.आ./आ.आ./प्र.आ.नि./आ.नि. /All the Pr.CsIT/ Pr.DsIT/CsIT/ DsIT in AP & Telangana Region.
4. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में कार्यालयों के सभी प्रमुख/ All the Head of offices of AP & TS Region
5. सचिव, आई.टी.ई.एफ., आ.प्र. एवं तेल. इकाई/आई.टी.एस.ई.डब्ल्यू.ए., आई.टी.ओ.बी.सी. एसोसियेशन, हैदराबाद/ The Secretary, ITEF, AP & TS Unit / ITSEWA / ITOBC Association.
6. क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हैदराबाद/ ZAO, CBDT, Hyderabad/Visakhapatnam
7. स्टॉक फाइल/निजी फाइल/डाटा बेस फाइल/ Stock file/Personal file/Data Base File
8. प्र.मु.आ.आ, हैदराबाद कार्यालय के अधीन सभी अनुभाग/ All sections in O/o. Pr.CCIT, Hyderabad.



(थम्बा महेंद्र) / (THAMBA MAHENDRA)

आयकर उपायुक्त (मुख्या)(प्रशासन)  
Dy. Commissioner of Income Tax(Hqrs.)(Admn.)  
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद  
O/o. Pr.CCIT, AP & TS, Hyderabad.